संख्या:37/2024/896ई-2/तेरह-2024-400005

प्रेषक,

दुर्गा सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 24 अक्टूबर, 2024

विषय:-मेसर्स धामपुर बायो आर्गेनिक्स लि., यूनिट असमौली डिवीजन फ्यूल्स एण्ड स्प्रिट्स, असमौली में स्थापित 100 कि.ली. एवं 150 कि.ली. प्रतिदिन शीरे पर आधारित प्लांट को डुअल मोड अर्थात् शीरे के साथ-साथ ग्रेन से संचालित करते हुए अलग-अलग फीड से एक साथ अल्कोहल (एथनॉल, ई.एन.ए., रेक्टिफाइड स्प्रिट, एस.डी.एस.) उत्पादन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:जी-44/दो-प्रा.डी.-92/DBOL, दिनांक 22-08-2024 तथा प्रकरण में प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में आहूत बैठक दिनांक 30-09-2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 22-08-2024 द्वारा की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत मेसर्स धामपुर बायो आर्गेनिक्स लि., यूनिट असमौली डिवीजन फ्यूल्स एण्ड स्प्रिट्स, असमौली में अलग-अलग प्लांट एवं संचय व्यवस्था होने पर अलग-अलग फीड से एक साथ अल्कोहल उत्पादन किये जाने हेतु पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 14.07.2023 की शर्त संख्या-(ग) को विलोपित करते हुए आसवनी को पूर्व से स्वीकृत क्षमता 250 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 875 लाख लीटर के अन्तर्गत स्थापित 100 कि.ली. प्रतिदिन एवं 150 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता के प्लांट से एक साथ अलग-अलग फीड से अल्कोहल उत्पादन करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(क) आसवक द्वारा आसवनियों में दो स्ट्रीम होने पर उन्हें अलग-अलग फीड से अल्कोहल उत्पादन हेतु एक साथ चलाए जाने की अनुमति संबंधी शासनादेश संख्या:864ई-2/तेरह-2023-107/2013, दिनांक 10.05.2023 एवं तद्संबंधी आयुक्तालय के आदेश दिनांक 18.05.2023 की शर्तों का अनुपालन किया जाएगा।

(ख) इकाई द्वारा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापति प्रमाण-पत्र तथा अन्य विभागों से सुसंगत अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत अनापत्ति/अनुज्ञा में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(ग) आबकारी आयुक्त द्वारा प्रकरण में अनुज्ञापन निर्गत किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इकाई के पास शीरा संचय की पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है।

(घ) इस सबंध में पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 14.07.2023 की शर्त संख्या-(ग) के अतिरिक्त अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

तद्नुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(**दुर्गा सिंह**)
उप सचिव

<u>संख्याः37(1)ई-2/तेरह-2024, तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
(2) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ.प्र. शासन ।
(3) अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ.प्र. शासन।
(4) अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उ.प्र. शासन।
(5) अपर मुख्य सचिव, पशुधन विभाग, उ.प्र. शासन।
(6) प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उ.प्र. शासन।
(7) अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ.प्र. शासन।
(8) प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, उ.प्र. शासन।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(**दुर्गा सिंह**)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।